राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमाकःपं022(02)चिस्वा/2/2023 **जयपुर, दिनांक**

निदेशक (जन स्वा0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0 जयपुर।

स्वीकृति संख्या :–93/2023–24

विषयः– जिला चिकित्सालय नोखा, जिला बीकानेर का भवन निर्माण दानदाता द्वारा उपलब्ध करवाई गयी भूमि पर करवाये जाने के पश्चात नामकरण " **श्री जेठाराम डूडी राजकीय जिला चिकित्सालय नोखा, जिला बीकानेर, राजस्थान**" किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि जिला चिकित्सालय नोखा, जिला बीकानेर का भवन निर्माण दानदाता श्री रामेश्वरजी डूडी, ग्राम बिरमसर तहसील नोखा, जिला बीकानेर द्वारा दानस्वरूप उपलब्ध करवाई गयी भूमि पर करवाये जाने एवं दानदाता द्वारा दाननियमों के अनुसार उनके हिस्से का भवन निर्माण कार्य करवाये जाने के पश्चात् नामकरण " **श्री जेठाराम डूडी राजकीय जिला चिकित्सालय नोखा, जिला बीकानेर, राजस्थान** " किये जाने की स्वीकृति निम्नाकित शर्तो के अधीन किया जाना प्रस्तावित है–

1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा Non Judicial Stamp पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समय सीमा निर्धारित कर, दान नियमानुसार दानदाता से उनके हिस्से का भवन निर्माण किये जाने का अनुबंध दानदाता से करवाया जावेगा।

2 जिला चिकित्सालय नोखा,जिला बीकानेर के नवीन भवन का निर्माण कार्य दानदाता श्री रामेश्वर डूडी द्वारा विभाग को दान में दी जा रही भूमि पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नक्शे व नॉर्म्स के अनुसार विभागीय अधिकारियों की देखरेख में किया जायेगा।

3 दानदाता द्वारा जिला चिकित्सालय नोखा,जिला बीकानेर के भवन निर्माण हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व दान की जा रही भूमि का नियमानुसार दान–विलेख पत्र/भूमि का रजिस्ट्रेशन उप पंजीयन कार्यालय में नियमानुसार दर्ज करवाकर भूमि के समस्त मूल पत्रादि विभाग को सुपूर्द किये जावेगें।

4 दानदाता से जिला चिकित्सालय नोखा, बीकानेर के भवन निर्माण कार्य के अन्तर्गत दान नियमों के अनुसार उनके हिस्से के भवन का निर्माण कार्य विभागीय नार्म्स एवं नक्शें के अनुसार विभागीय अधिकारियों की देखरेख में करवाया जावेगा।

5 दानदाता द्वारा जिला चिकित्सालय नोखा,जिला बीकानेर की भूमि पर दाननियमों के अनुसार, दान की गई भूमि का पंजीयन एवं अपने हिस्से का भवन निर्माण कार्य करवाये जाने के पश्चात् उक्त चिकित्सालय का नामकरण " **श्री जेठाराम डूडी राजकीय जिला चिकित्सालय नोखा जिला बीकानेर, राजस्थान** " रखा जा सकेगा।

6 दानदाता द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही भूमि एवं दानदाता के हिस्से के भवन का स्वामित्व राज्य सरकार में ही निहित होगा

7 जिला चिकित्सालय नोखा, जिला बीकानेर का स्वामित्व, संचालन एंव प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का ही होगा।

8 Guidelines/Rules regarding acceptance of Donation & Charities from Private Individuals or Public Bodies for Medical Purposes के नियमों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीया,

(निमिषा गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. जिला कलक्टर बीकानेर।
4. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
6. मुख्य अभियंता एनएचएम), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
8. ई फाईल संख्या 14048/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2023.09.13 16:12:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4708294

राजस्थान सरकार
निदेशालय ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,राज.जयपुर

क्रमांकःएफ–939 / नामकरण / योजना–निर्माण / 2023 / 1074 दिनांकः– 14-9-2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजि सचिव,संयुक्त शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग ,राजस्थान।
2. निजि सचिव, निदेशक(जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये ,मुख्यालय।
3. जिला कलक्टर ,बीकानेर।
4. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,मुख्यालय ।
5. मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक(जोन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,जोन ,बीकानेर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,बीकानेर को भेजकर लेख है कि दानदाता से सम्पर्क कर प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति संख्या 93 / 2023–24 दिनांक 13.09.2023 के द्वारा जिला चिकित्सालय नोखा जिला बीकानेर का नामकरण " **श्री जेठाराम डूडी राजकीय जिला चिकित्सालय नोखा, जिला बीकानेर, राजस्थान** " किये जाने की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत दानदाता से उक्त भूमि जिला चिकित्सालय नोखा जिला बीकानेर के नाम पर करवाये जाने कार्यवाही एवं भूमि+भवन (दानदाता के हिस्से) को राज्य सरकार के नाम किये जाने का एमओयू करवाकर अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करे।
8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नोखा जिला बीकानेर।
9. दानदाता माननीय श्री रामेश्वरजी डूडी, पुत्र स्व. श्री जेठाराम डूडी,ग्राम बिरमसर तहसील नोखा जिला बीकानेर को उक्त स्वीकृति प्रेषित कर अनुरोध है कि स्वीकृति भूमि " जिला चिकित्सालय नोखा" के नाम एवं अपने हिस्से के भवन निर्माण हेतु व्यय राशि का **एमओयू** नियमानुसार उप पंजीयक कार्यालय में किये जाने का श्रम करावे।
10. उप निदेशक(सांख्यिकी) योजना अनुभाग,मुख्यालय।
11. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
12. आदेश / रक्षित पत्रावली।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
जयपुर, राजस्थान

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :13-09-2023 05:41:53

RajKaj Ref No. : 4716802